फर्द अहकाम

प्रभात बनाम जनता वगैरह

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 23/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष	दिनांक
	3/4/21	वकील डिक्रीदार के कथन लगाई गई डिक्रीदार स्वयं व उनका अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। वकील दावेदार शाहपुरा के निवेदन प्राप्त हुई है कि प्रकरण के लूणा कोरन कि भारत के कारण स्थगित है तथा प्रकरण में उन्हें सुना नहीं गया है। प्रकरण में डिक्रीदार की ओर से भी कोई शपथ पेश नहीं किया गया है अतः प्रकरण। प्रकरण शपथ मूल हाजरी आम पेशी में दाखिल किया जाता है। पत्रावली के फल अगर तक दाखिल दफ्तर हो।		

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर